

[2023] 11 एस. सी. आर 121:2023 आई. एन. एस. सी. 735

मुकदमों का विवरण

माला ईटीसी। ईटीसी. वी.

पंजाब राज्य और अन्य (2011 की सिविल अपील संख्या 3992-4000) 17 अगस्त, 2023

[बेला एम. त्रिवेदी और दीपांकर दत्ता, जे. जे.] हेडनोट्स

विचार के लिए विषय: क्या उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश में भूमि मालिकों को देय मुआवजे की कुल राशि रु. 2, 400/- प्रति मरला भूमि के लिए, गाँव पुरीरन के लिए शेष प्रकार की भूमि के लिए, और गाँव सुतेहरी के लिए सभी प्रकार की भूमि के लिए, भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत उपलब्ध सभी वैधानिक लाभों के साथ, रु. 3, 000/- प्रति मरला, विकास शुल्क के लिए; और अधिग्रहण की तारीख से पहले दुकानों के लिए निष्पादित बिक्री विलेखों पर भरोसा न करने से, संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत कोई भी अनुमान लगाया जा सकता है।

भूमि अधिग्रहण: क्षतिपूर्ति-उच्च न्यायालय द्वारा भूमि के बाजार मूल्य का आकलन-विकास शुल्क के लिए एक तिहाई राशि की कटौती-की शुद्धता:

आयोजित किया गया: उच्च न्यायालय ने अधिनियम के तहत निर्धारित प्रासंगिक कारकों पर विचार किया-उसने अभिलेख पर साक्ष्य के आलोक में सभी बिक्री उदाहरणों पर विधिवत विचार किया और उस तारीख के निकट निष्पादित बिक्री उदाहरणों पर भरोसा किया जिस पर विचाराधीन भूमि का अधिग्रहण किया गया था-विकास शुल्क के लिए एक तिहाई की कटौती लागू करने के बाद इस तरह से निर्धारित बाजार मूल्य का आकलन सही तरीके से किया गया था, इस प्रकार, किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। [पैरा 10 और 15]

भूमि अधिग्रहण: क्षतिपूर्ति-विकास शुल्कों के लिए कटौती-निम्नलिखित का निर्धारण:

आयोजित किया गया: न्यायालयों को भूमि की प्रकृति, अधिग्रहण के तहत क्षेत्र, भूमि का विकास और इसके विकास की सीमा, उद्देश्य **122** को ध्यान में रखना चाहिए।

121

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 11 एस सी आर।

अधिग्रहण आदि-भूमि के बड़े हिस्से के बाजार मूल्य का निर्धारण करते समय, भूमि के छोटे टुकड़ों के मूल्य को ध्यान में रखा जा सकता है, हालांकि, भूमि के मूल्य में उचित कटौती करने

या सड़कों को बनाने के लिए आवश्यक भूमि को अलग करने, खुले स्थानों को छोड़ने, छोटे भूखंडों को अलग करने आदि के बाद-कटौती का प्रतिशत या अलग रखे जाने के लिए आवश्यक क्षेत्र की सीमा का मूल्यांकन अधिग्रहित भूमि के आकार, आकार, स्थिति, उपयोगकर्ता आदि को ध्यान में रखते हुए अदालतों द्वारा किया जाना चाहिए-यह अनिवार्य रूप से एक प्रकार का अनुमान कार्य है जो अदालतों द्वारा करने की उम्मीद की जाती है।[पैरा 11]

भूमि अधिग्रहण-भूमि का बाजार मूल्य-मार्गदर्शक सिद्धांतों का निर्धारण:

आयोजित किया गया:भूमि के बाजार मूल्य का पता लगाने के लिए, इसकी मौजूदा स्थिति, स्थान और उपयोगकर्ता, आवासीय, वाणिज्यिक या औद्योगिक क्षेत्र आदि से इसकी निकटता पर विचार किया जाना चाहिए-अधिग्रहित भूमि का आकार और प्रकृति और भूमि का आकार और प्रकृति जिसके संबंध में बिक्री के उदाहरण दिए जाते हैं, ये भी एक महत्वपूर्ण पहलू हैं-भूमि के छोटे टुकड़े की बिक्री के उदाहरण भूमि के बड़े हिस्से का बाजार मूल्य निर्धारित करने के लिए उचित आधार नहीं बना सकते हैं, जब तक कि विकास शुल्क के संबंध में उपयुक्त कटौती नहीं की जाती है-की जाने वाली कटौती भूमि की प्रकृति, इसकी स्थलाकृति, विशेष विशेषताओं और इसके विकास की स्थिति पर निर्भर करेगी ताकि इसे उस उद्देश्य के लिए उपयुक्त बनाया जा सके जिसके लिए इसे अधिग्रहित किया जाता है।[पैरा 8]

भारत का संविधान:अनुच्छेद 136-के तहत असाधारण अधिकारिता-प्रयोग:

आयोजित किया गया:अनुच्छेद 136 के तहत, अपीलीय अधिकारिता ग्रहण करने पर प्रयोग की जाने वाली पूर्ण अधिकारिता सर्वोच्च न्यायालय को प्रदान की गई है-हालांकि, यह एक असाधारण अधिकारिता है जिसका उपयोग असाधारण परिस्थितियों में बहुत सावधानी और सावधानी के साथ किया जाना चाहिए।[पैरा 7]

शहरों और अन्य संदर्भों की सूची

हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास निगम बनाम प्राण सुख और अन्य (2010) 11 एस. सी. सी. 175; चिमनलाल हरगोविंददास बनाम विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी, पूना और अन्न। (1988) 3 एससीसी 751:[1988] 1 पूरकाएस. सी. आर. 531; लाल चंद बनाम भारत संघ और अन्न। (2009) 15 एससीसी 769:[2009] 13 एससीआर 622; कस्तूरी और ओ. आर. एस. वी.हरियाणा राज्य

(2003) 1 एससीसी 354:[2002] 4 पूरकाएस. सी. आर. 117; ig.साहिब सिंह कल्हा 123

माला ईटीसी। ईटीसी. वी.पंजाब राज्य और अन्य

और अन्य बनाम अमृतसर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट और अन्य एआईआर (1982) एससी

940 – संदर्भित किया गया।

अन्य मामलों के विवरणों में आयातित आदेश और आवेदन शामिल हैं

सिविल अपील न्यायनिर्णय:2011 की सिविल अपील सं. 3992-4000।

2009 के सी. डब्ल्यू. पी.

Nos.20433,20318,20319,20320,20321,20329,20330,20333 और 2010 के सी. डब्ल्यू. पी. <आई. डी. 3 में चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के दिनांकित <आई. डी. 2 के निर्णय और आदेश से।के साथ

2011 की सिविल अपील संख्या 5218,5219 और 10693।

रूप:

पी. एस. पटवालिया, वरिष्ठ अधिवक्ता, यादव नरेंद्र सिंह, सतीश कुमार, कमल मोहन गुप्ता, सुदर्शन सिंह रावत, एस. सुनी, सनी सचिन रावत, सुश्री साक्षी सिंह रावत, सुश्री प्रगति नीखरा, आदित्य भानु नीखरा, अधिवक्ता।अपीलार्थीगण के लिए।

अजय पाल, मयंक दहिया, कुलदिप सिंह, अधिवक्ता।प्रत्यर्थीगणों के लिए।

सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का निर्णय/आदेश

न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी

1. 12 अपीलों का यह समूह चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा सिविल रिट याचिका No.20433/2009 और अन्य (सभी 40 रिट याचिकाओं में) में पारित सामान्य निर्णय और आदेश दिनांक 17.08.2010 से उत्पन्न होता है।उच्च न्यायालय के समक्ष, भूमि मालिकों के नेतृत्व में 14 रिट याचिकाएं दायर की गईं और इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, होशियारपुर के नेतृत्व में 26 रिट याचिकाएं दायर की गईं।विवादित निर्णय के माध्यम से, उच्च न्यायालय ने अधिग्रहित भूमि का बाजार मूल्य बढ़ाकर 2,000 रुपये प्रति मरला करके भूमि मालिकों के नेतृत्व में दायर रिट याचिकाओं को स्वीकार कर लिया और भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 (जिसे इसके बाद उक्त अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया है) के तहत उपलब्ध सभी वैधानिक लाभों को मंजूरी दे दी।उच्च न्यायालय ने दो साल के लिए निर्धारित राशि के लिए 10 प्रतिशत प्रति मरला पर Rs.400 का लाभ भी प्रदान किया। अर्थात्, उच्च न्यायालय ने 124 का आदेश दिया।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 11 एस सी आर।

अधिनियम के तहत उपलब्ध सभी वैधानिक लाभों के साथ भूमि मालिकों को 2400 रुपये प्रति मरला के हिसाब से देय मुआवजे की कुल राशि। उच्च न्यायालय ने इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के नेतृत्व में दायर रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया।

26 उक्त न्यायाधिकरण द्वारा पारित उक्त निर्णय को चुनौती देने वाली रिट याचिकाएं। उच्च न्यायालय ने ऊपर बताए गए विवादित सामान्य निर्णय के माध्यम से सभी रिट याचिकाओं का निपटारा कर दिया।

4. अपीलार्थीगण की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री पी. एस. पटवालिया ने कहा कि विचाराधीन भूमि का उपयोग वाणिज्यिक और आवासीय दोनों उद्देश्यों के लिए किया जा रहा था और उच्च न्यायालय ने अधिग्रहण की तारीख से पहले दुकानों के लिए निष्पादित बिक्री विलेखों पर भरोसा नहीं करने में गलती की थी, जिससे कीमतों में निरंतर वृद्धि दिखाई दी।

5. उन्होंने आगे कहा कि उच्च न्यायालय ने विकास शुल्क के लिए 3,000/- रुपये प्रति मरला के निर्धारित बाजार मूल्य पर एक तिहाई कटौती लागू करने में बड़ी गलती की थी, हालांकि यह स्वीकार किया जाता है कि अधिग्रहित भूमि गांवों की नगरपालिका सीमाओं के भीतर स्थित थी। उन पर खड़ी संरचनाओं/इमारतों ने स्पष्ट रूप से साबित किया कि अधिग्रहित भूमि न तो अविकसित थी और न ही अविकसित भूमि। उन्होंने मामले पर भरोसा किया

हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास निगम बनाम प्राण सुख और

अन्य 1 उनकी प्रस्तुतियों का समर्थन करने के लिए। 6. प्रत्यर्थी राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने हालांकि प्रस्तुत किया कि जब भूमि का एक बड़ा हिस्सा अधिग्रहित किया जा रहा है, तो तय की गई कानूनी स्थिति के अनुसार विकास शुल्क के लिए एक उपयुक्त कटौती की आवश्यकता है, जो उच्च न्यायालय द्वारा उचित रूप से की गई है।

7. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, आइए देखें कि क्या विवादित निर्णय भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत असाधारण अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने वाले इस न्यायालय के किसी भी निष्कर्ष की गारंटी देता है। निस्संदेह, अनुच्छेद 136 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को अपीलीय अधिकारिता ग्रहण करने के लिए एक पूर्ण अधिकार क्षेत्र प्रदान किया गया है, फिर भी यह एक असाधारण अधिकार क्षेत्र है जिसका प्रयोग असाधारण परिस्थितियों में किया जाना चाहिए और वह भी बहुत सावधानी और सावधानी के साथ।

8. उक्त अधिनियम की धारा 23 (1) को ध्यान में रखते हुए धारा 4 (1) के तहत अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख पर भूमि के बाजार मूल्य को निर्धारित करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत इस न्यायालय द्वारा निर्णयों के आधार पर अच्छी तरह से तय किए गए हैं। तदनुसार, बाजार मूल्य का निर्धारण एक आर्थिक घटना की भविष्यवाणी करने की प्रक्रिया है जो यह मानती है कि एक इच्छुक विक्रेता सामान्य बाजार स्थितियों में एक इच्छुक खरीदार को एक कीमत देगा, लेकिन न तो हाथ की लंबाई पर चिंतित सौदे की घटना, न ही बिक्री का एक मुखौटा, न ही त्वरित उत्तराधिकार में लाई गई निश्चित बिक्री या अन्यथा बाजार मूल्य में वृद्धि करने के लिए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि भूमि के बाजार मूल्य का पता लगाने के लिए, इसका वर्तमान मूल्य

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 11 एस सी आर।

स्थिति, स्थान और उपयोगकर्ता, आवासीय, वाणिज्यिक या औद्योगिक क्षेत्र आदि से इसकी निकटता प्रमुख कारक हैं जिन पर विचार किया जाना आवश्यक है। अधिग्रहित भूमि का आकार और प्रकृति और भूमि का आकार और प्रकृति भी एक महत्वपूर्ण पहलू होगा, जिसके संबंध में बिक्री के उदाहरण रिकॉर्ड पर प्रस्तुत किए जाते हैं, सामान्य रूप से भूमि के छोटे टुकड़े की बिक्री के उदाहरण भूमि के बड़े हिस्से का बाजार मूल्य निर्धारित करने के लिए उचित आधार नहीं बना सकते हैं, जब तक कि विकास शुल्क के संबंध में उपयुक्त कटौती नहीं की जाती है। कितनी कटौती की जानी चाहिए, यह भूमि की प्रकृति, इसकी स्थलाकृति, विशेष विशेषताओं और इसके विकास की स्थिति पर निर्भर करेगा ताकि इसे उस उद्देश्य के लिए उपयुक्त बनाया जा सके जिसके लिए इसे अधिग्रहित किया गया है।

9. तत्काल मामलों में, न्यायाधिकरण ने पक्षकारों के वकीलों की दलीलें दर्ज करने और बिक्री के उदाहरणों को रिकॉर्ड पर दर्ज करने के बाद, साक्ष्य या चर्चा का कोई और विश्लेषण किए बिना, अधिग्रहण की गई भूमि की बाजार दरों को अचानक लगभग दोगुना कर दिया, जिस दर पर भूमि अधिग्रहण कलेक्टर द्वारा मुआवजे का आकलन किया गया था। न्यायाधिकरण ने दरों को रुपये से बढ़ा दिया। 668.75-से रु। 1337.50-भूमि के लिए प्रति मरला चाही और रु. 687.50-से रु। गाँव पुरीरन के लिए शेष प्रकार की भूमि के लिए 1375/- प्रति मरला, और रु। 714.30-से रु। 1428.60-गाँव सुतेहरी के लिए सभी प्रकार की भूमि के लिए प्रति मरला। उच्च न्यायालय द्वारा उक्त दरों को और बढ़ा कर एक लाख रुपये कर दिया गया है। सभी विचाराधीन भूमि के लिए 3,000/- प्रति मरला।

10. यद्यपि विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री पटवालिया ने यह प्रस्तुत करने का अनुरोध किया था कि उच्च न्यायालय उस तारीख के निकट निष्पादित दुकान की बिक्री के उदाहरण पर विचार करने में विफल रहा है जिस दिन विचाराधीन भूमि का अधिग्रहण किया गया था, हम उक्त प्रस्तुतिकरण में कोई योग्यता नहीं रखते हैं। उच्च न्यायालय ने अभिलेख पर अन्य साक्ष्यों के आलोक में सभी बिक्री उदाहरणों पर विधिवत विचार किया है और विधिवत तर्क देने के बाद कि अन्य बिक्री उदाहरणों पर भरोसा क्यों नहीं किया जाना चाहिए, दिनांक 31.08.1992 (Ex. पी/30) और दिनांकित 14.08.1992 (उदा. पी/32) जो उस तारीख के निकट निष्पादित किए गए थे जिस दिन विचाराधीन भूमि का अधिग्रहण किया गया था। दुकान के एकल बिक्री के उदाहरण को सही ढंग से नजरअंदाज कर दिया गया है, अन्य बिक्री के उदाहरण अधिग्रहण के क्षेत्र के आस-पास के क्षेत्र में स्थित भूमि के अधिक सटीक और प्रासंगिक हैं जो रिकॉर्ड पर उपलब्ध हैं।

11. उच्च न्यायालय द्वारा लगाई गई एक तिहाई कटौती के संबंध में श्री पटवालिया द्वारा की गई अगली दलील में भी शायद ही कोई बल हो। उच्च न्यायालय ने 127 पर अधिग्रहित भूमि का बाजार मूल्य निर्धारित करने के बाद

माला ईटीसी। ईटीसी. वी. पंजाब राज्य और अन्य [बेला एम. त्रिवेदी, जे.] 128

रु. 3000/- प्रति मरला, तय की गई कानूनी स्थिति को ध्यान में रखते हुए विकास शुल्क के लिए उससे एक तिहाई राशि काट ली है। यह कानून की अच्छी तरह से स्थापित स्थिति है कि विकास शुल्कों के लिए कटौती का निर्धारण करते समय, अदालतों को भूमि की प्रकृति, अधिग्रहण के तहत क्षेत्र, भूमि विकसित की गई है या नहीं, यदि किस हद तक विकसित की गई है, तो अधिग्रहण का उद्देश्य आदि को ध्यान में रखना चाहिए। हालाँकि, यह सच है कि भूमि के बड़े हिस्से का बाजार मूल्य निर्धारित करते समय, भूमि के छोटे टुकड़ों के मूल्य को ध्यान में रखा जा सकता है, हालाँकि, भूमि के मूल्य में उचित कटौती करने या सड़कों को बनाने, खुले स्थानों को छोड़ने, छोटे भूखंडों को अलग करने आदि के लिए आवश्यक भूमि को अलग करने के बाद। अधिग्रहित भूमि के आकार, आकार, स्थिति, उपयोगकर्ता आदि को ध्यान में रखते हुए अदालतों द्वारा कटौती का प्रतिशत या अलग रखे जाने के लिए आवश्यक क्षेत्र की सीमा का आकलन किया जाना चाहिए। यह अनिवार्य रूप से एक प्रकार का अनुमान कार्य है जिसे अदालतों द्वारा किए जाने की उम्मीद है।

12. चिमनलाल हरगोविंददास बनाम विशेष भूमि अधिग्रहण कार्यालय मामले में,

पूना और अन्न। 2, इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया: “8. पहले दो आधार योग्यता से रहित हैं। यह सामान्य ज्ञान है कि जब भूमि के एक बड़े खंड का मूल्यांकन करने की आवश्यकता होती है, तो सड़कों को तराशने, खुले स्थानों को छोड़ने और भवनों के निर्माण के लिए उपयुक्त छोटे भूखंडों को अलग करने के लिए भूमि को अलग रखने के लिए उचित कटौती की जानी चाहिए। इस संबंध में अलग किए जाने के लिए आवश्यक क्षेत्र की सीमा का आकलन न्यायालय द्वारा भूमि के संबंधित खंड आदि के आकार, आकार और स्थिति को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए। इस कारक के लिए कितनी कटौती की जानी चाहिए, इस बारे में कोई कठोर और तेज़ नियम नहीं हो सकता है। यह अनिवार्य रूप से तथ्य का सवाल है जो प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। इसमें कानून के किसी भी सिद्धांत को शामिल नहीं किया गया है।”

13. लाल चंद बनाम भारत संघ और अन्न में। 3, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि:

“14. “विकास के लिए कटौती” में दो घटक होते हैं। पहला विकास कार्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले आवश्यक क्षेत्र के संदर्भ में है और दूसरा विकास कार्यों की लागत है। उदाहरण के लिए, यदि आवासीय लेआउट डी. डी. ए. या इसी तरह के वैधानिक प्राधिकरण द्वारा बनाया जाता है, तो यह लगभग 40 प्रतिशत भूमि क्षेत्र का उपयोग कर सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 11 एस सी आर।

सड़कों, नालियों, उद्यानों, खेल के मैदानों और नागरिक सुविधाओं (सामुदायिक सुविधाओं) आदि के लिए।

15. विकास प्राधिकरण अविकसित भूमि को एक विकसित लेआउट में विकसित करने के लिए भी काफी खर्च करेगा, जिसमें भूमि को समतल करने की लागत, सड़कें, भूमिगत जल निकासी और सीवेज सुविधाएं प्रदान करने की लागत, पानी की लाइनें बिछाने, बिजली की लाइनें और पार्क और नागरिक सुविधाओं का विकास शामिल है, जो विकसित भूखंड के मूल्य का लगभग 35 प्रतिशत होगा। दोनों कारकों को एक साथ लिया जाए तो "विकास के लिए कटौती" होगी और यह विकसित भूखंड की लागत का 75 प्रतिशत तक हो सकता है।

16 21 तक।

22. वैधानिक विकास प्राधिकरणों द्वारा बनाए गए कुछ लेआउटों में सड़कों, नालियों, उद्यानों, खेल के मैदानों और सामुदायिक/नागरिक सुविधाओं के लिए निर्धारित सामान्य क्षेत्रों के अलावा जल/सीवेज उपचार संयंत्रों, पानी की टंकियों, विद्युत उप-स्टेशनों आदि के लिए बड़े क्षेत्र निर्धारित किए जा सकते हैं। उपरोक्त उदाहरणों का उद्देश्य केवल यह दिखाना है कि "विकास के लिए कटौती" कारक एक परिवर्तनीय प्रतिशत है और प्रतिशत की सीमा स्वयं 20 प्रतिशत से 75 प्रतिशत तक बहुत व्यापक है।" 14. इस न्यायालय ने अपने फैसले में कस्तुरी और ओआरएस. वी. के रूप में रिपोर्ट किया। हरियाणा राज्य ने कहा कि विकासात्मक शुल्कों के लिए मुआवजे के भुगतान में कटौती को लागू करते समय विभिन्न तथ्यात्मक कारकों को ध्यान में रखा जा सकता है, शायद कुछ मामलों में यह 1/3 से अधिक और कुछ मामलों में 1/3 से कम हो। इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया: "7 हालांकि, कुछ भूमि के मामलों में जहां आसपास के विकसित क्षेत्र के आधार पर कुछ लाभ हैं, यह कटौती के प्रतिशत को कम करने में मदद कर सकता है, क्योंकि उस कारण से आवश्यक विकास शुल्क कम हो सकता है। विभिन्न तथ्यात्मक कारक हो सकते हैं जिन्हें विकासात्मक शुल्कों के लिए मुआवजे के भुगतान में कटौती को लागू करते समय ध्यान में रखना पड़ सकता है, शायद कुछ मामलों में यह 1/3 से अधिक और कुछ मामलों में 1/3 से कम हो। यह याद रखना चाहिए कि एक विकसित क्षेत्र और संभावित मूल्य वाले क्षेत्र के बीच अंतर है, जिसे अभी विकसित किया जाना बाकी है। तथ्य यह है कि एक क्षेत्र विकसित किया गया है या

4 (2003) 1 एस. सी. सी. 354 129

माला ईटीसी। ईटीसी. वी. पंजाब राज्य और अन्य [बेला एम. त्रिवेदी, जे.]

एक विकसित क्षेत्र से सटे क्षेत्र में स्थित प्रत्येक भूमि को वास्तव में एक निर्माण स्थल या भूखंड के रूप में मूल्यवान नहीं बनाया जाएगा, विशेष रूप से जब विकास के उद्देश्य से विशाल क्षेत्रों का अधिग्रहण किया जाता है।”

15. उच्च न्यायालय ने आवेदन करने के बाद विवादित फैसले में

ब्रिगेडियर के मामले में निर्णयों का अनुपात। साहिब सिंह कल्हा और अन्य बनाम अमृतसर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट और अन्य 5 और तथ्यों के अन्य निर्णय

इन मामलों में से, इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि उसके द्वारा दिए गए मुआवजे की राशि पर एक तिहाई की कटौती की आवश्यकता थी। जब उच्च न्यायालय के विवादित निर्णय से पता चलता है कि उच्च न्यायालय ने अधिनियम के तहत निर्धारित प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखा है, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा व्याख्या की गई है, तो इस तरह से निर्धारित बाजार मूल्य का आकलन भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत अपीलों में इस न्यायालय के किसी भी हस्तक्षेप की गारंटी नहीं देता है।

16. मामले के उस दृष्टिकोण में, योग्यता से रहित होने के कारण अपीलों को खारिज कर दिया जाता है।

द्वारा तैयार किए गए हेडनोटः

याचिकाएं खारिज कर दी गईं।

निधि जैन

5 आकाशवाणी (1982) एससी 940